ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट पेश की

जयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉण्डरिंग के मामले में चार आरोपियों पदम चंद जैन, महेश मित्तल, संजय बडाया और मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

चार्जशीट में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को ई.डी. ने ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। चार्जशीट में कहा गया कि ई.डी. ने ए.सी.बी. दर्ज एफ.आई.आर. के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसमें पाया गया कि पदम चंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टेंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने और लोक सेवकों से अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में रिश्वत देने में शामिल थे। आरोपी हरियाणा से चोरी का माल खरीदने में भी शामिल थे और टेंडर हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे।

आरोप पत्र में कहा गया है कि पदम चंद जैन और महेश मित्तल सहित आरोपियों से संबंधित फर्मों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपये जमा हुए थे। उन्हें जो भी पैसा मिला वह पी.एम.एल.ए. अधिनियम के तहत अपराध की आय है।

सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन

राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की

- बुधवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उनका निधन हो गया।
- अमृतलाल मीणा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।
- सलूम्बर से लगातार तीन बार विधायक रहे अमृतलाल मीणा 20 साल से राजनीति में थे और क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे।

उदयपुर, 8 अगस्त (कासं)। सलूम्बर से लगातार तीन बार भाजपा के विधायक रहे अमृतलाल मीणा (65) का बुधवार देर रात उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी अनुसार बुधवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर विधायक अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल लाया गया और रात करीब दो बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी पार्थिव देह उदयपुर से उनके पैतृक गांव लालपुरिया (सलूम्बर) लाई गई। यहां पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इससे पहले दोपहर करीब डेढ़ बजे उनकी पार्थिव देह को सलूम्बर के डाक बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि दी। वे विधानसभा में भी जनता की बात मजूबती से उठाते रहे और सलूम्बर क्षेत्र में विधायक रहते हुए उन्होंने कई बड़े विकास कार्य भी करवाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने गुरुवार को सलूम्बर के लालपुरिया (सेमारी) पहुंचकर मीणा की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया एवं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि अमृतलाल के आकस्मिक निधन का समाचार स्तब्ध कर देने वाला है। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मीणा वर्ष 2013 से बतौर विधायक लगातार तीन बार से सलूम्बर की जनता की सेवा में जुटे हुए थे। समाजसेवा और जनता के हित में वे हमेशा तत्पर रहते थे। शर्मा ने कहा कि स्व. अमृतलाल ने अपने जीवन में समाज के वंचित वर्गों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया और क्षेत्र के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। उनको एक जनप्रिय नेता के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुन्दा विधायक प्रताप गमेती, श्रीचंद कृपलानी, समाजसेवी दिनेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे। मीणा के निधन के समाचार के पश्चात मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार इस बार के बजट सत्र में भी उन्होंने विधानसभा में 98 लिखित सवाल लगाए उनमें से 10 सवालों का जवाब आ चुका है और 88 सवाल का जवाब आना बाकी था। जनहित के इन सभी सवालों का जवाब आता उससे पहले ही अमृतलाल मीणा जनता के बीच से विदा हो गए।

राहुल गांधी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखा कि साथी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि, राहुल गांधी ने मीटिंग का ब्यौरा नहीं दिया पर उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे तथा कई मसलों पर चर्चा हुई। गोगोई ने पत्रकारों को बताया कि बांग्लादेश, चीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले व संसद में आज की कार्यवाही पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राहुल ने सांसदों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा सदस्यों की मीटिंग हुई। गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक से कुछ दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी।

हैदराबाद में नॉन वैज की....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आबादी का बड़ा तबका नॉन वैज भोजन खाता है। समस्या स्विगी जैसी फूड डिलीवरी ऐप के साथ है जिसके डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ग्राहकों के नॉन वैज ऑर्डर पहुंचाने से इन्कार कर रहे हैं।

अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ीं तो यह बड़ी समस्या बन सकता है खासकर अपने लंच ऑर्डर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक कस्टमर ने बताया कि कुछ अन्य लोकल कूरियर के डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव और डिलीवरी एप्स भी नॉन वैज फूड के पैकेट ले जाने से इन्कार कर रहे हैं।

एक मध्यम वर्गीय महिला ने बताया कि वह शहर में काम करने वाले अपने बेटे को लंच भेज रही थी और स्विगी के डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ने मना कर दिया कि वह लंच बॉक्स नहीं ले जाएगा क्योंकि इसमें चिकन करी है। यहीं नहीं डिलीवरी पार्टनर ने पहले महिला से पूछा टिफिन में क्या है फिर उसने इन्कार कर दिया। पर उसने इतनी मदद अवश्य डिलीवरी की रिक्वैस्ट किसी अन्य को दे दी जिसे नॉन वैज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी।

सिकंदराबाद की एक अन्य महिला को भी ऐसा ही अनुभव हुआ जब एक स्विगी जिनी पार्टनर ने उसका फूड पैकेट ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसमें बिरयानी थी। हैदराबाद में भी कुछ लोगों ने ऐसी शिकायते की हैं। आमतौर पर कूरियर करने वाले यह नहीं पूछते हैं कि पैकेट में क्या है पर अब वर्कर्स यूनियन ने भी अपने सदस्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कस्टमर से पूछे कि पैकेट में क्या है ताकि उन्हें ऐसी कोई चीज न ले जानी पड़े जो वे नहीं चाहते हैं।

चंद्रबाबू नायडू के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सम्बन्धित संशोधन लाने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस नेता के.सी.वेणुगोपाल ने इस विधेयक को "संविधान पर आधारभूत हमला बताया, क्योंकि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। राज्य वक़्फ़ बोर्डों तथा केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद की संचालन समिति के सदस्यों के रूप में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रस्तावित संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुये, वेणुगोपाल ने पूछा: "जब राम मंदिर के निर्माण के लिये कमेटी गठित हुई थी, क्या उस समय गैर-हिन्दुओं को इसका सदस्य बनाया गया था?" उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुये लाया गया है। सुदीप बंदोपाध्याय (टी.एम.सी.) ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो आदेशित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। द्रमुक सांसद कनिमोई ने कहा कि इस विधेयक के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं तथा यह उस स्वप्न को नष्ट कर देगा, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिये देखा था। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस विधेयक को अपने कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने के लिये लाई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पार्टी को धक्का लग चुका है।

कालाडेरा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जयपुर से एफ.एस.एल की टीम ने भी फैक्टरी में घटना स्थल से सैम्पल लिए हैं। विधायक डॉ. शिखा मील बराला, चौमूं उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा आदि ने चौमूं शहर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे घायलों से मिलकर हर संभव इलाज का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार, घायलों में श्यामलाल पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, नानूराम पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, सुरेश कुमार पुत्र नारायण लाल निवासी हाथनोदा थाना सामोद सहित कई शामिल है।

सरकार अचानक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देना तथा वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना। वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं को लाने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार वक़्फ़ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तथा इसके साथ ही, क्या यह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मदद करने का प्रयास है।

मुकेश अंबानी का "एन्टीलिया" वक़्फ़ की जमीन पर ही है, तथा इसी प्रकार, क्या यह अंबानी, जो नरेन्द्र मोदी के अच्छे मित्र हैं, की मदद करने की कोशिश है।

'विपक्ष के कई नेता, जो अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई सांसदों ने मुझे निजी तौर पर बताया था कि वक़्फ़ बोर्ड माफ़ियाओं के कब्जे में हैं, लेकिन अब वे ही विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

रिजिजू ने दावा किया कि वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है।

विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि वक़्फ़ विधेयक के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के मसौदे में संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संशोधित विधेयक में सैन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड काउन्सिल और राज्य वक़्फ़ बोर्डों के विस्तृत संयोजन का प्रस्ताव है तथा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रकार के निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी हो। वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2013 में प्रावधान था कि उपधारा (1) से (8) के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले कम से कम दो सदस्य महिला होनी चाहिए।"

नए विधेयक में भी महिलाओं को सदस्य के रूप में अहमियत दी गई है, लेकिन आगे यह भी जोड़ा गया है कि "वक्फ हलाल औलाद" के निर्माण से तात्पर्य महिलाओं को विरासत के अधिकार से इनकार करना नहीं है।"

विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए 1 अलग बोर्ड के गठन का प्रावधान है। विधेयक के मसौदे में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना है कि "वक़्फ़ का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का अनुयायी है तथा इस प्रकार की सम्पत्ति का स्वामित्व उसके पास है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908